



र प्रदेश UTTAR PRADESH

872108

3	कोषागार लखनऊ	3
*	लखनऊ क्षेत्र से जारी	*
3	1000	3
0		0
0		0
0	स. को. अ./कोषाधिकारी	0
0	आदर्श कोषागार लखनऊ	0
*	L.K.O. T.K.Y.	*

(2)

4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) खसय नं० 174
का भाग
5. मापन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.253 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) मुख्य सड़क फैजाबाद रोड
8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि भूमि

महादेव



भारत प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार 721095
लखनऊ कोषागार सी. टी. सी.
21 OCT 2013
स. को. अ. / कर्मचारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
* LKO.TRY.

(3)

9. बोरिंग/कुआं/ अन्य - नहीं
10. सहकारी आवास समिति के सदस्य से संबंधित है- नहीं
11. प्रतिफल की धनराशि 2,50,000/- रुपये

चौहद्दी भूमि छुटा


पूरुब : बाला
पश्चिम : भूमि खसरा नं० 173 व 172
उत्तर : बाला
दक्षिण : शेरा भूमि खसरा नं० 174 मिलिकयत
श्री वेतकी रंजन

महादेव

21/10/13



प्रदेश UTTAR PRADESH



(4)

प्रथम पक्ष की संख्या (एक)


विक्रेता का विवरण

1. नाम- महादेव पुत्र श्री लबू निवासी ग्राम उत्तरघौना परगना तहसील
व निल लखनऊ

महादेव



प्रदेश UTTAR PRADESH



(5)

द्वितीय पक्ष की संख्या (एक)

क्रेता का विवरण


नाम- आशीष गुप्ता पुत्र श्री हरि प्रसाद गुप्ता निवासी नं० 4/169 विद्याल.

खण्ड गोमती नगर लखनऊ

महादेव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(6)


विक्रय पत्र

जो कि कृषि भूमि खाता संख्या 00038 खसरा नं० 174 क्षेत्रफल 1.5220 हेक्टेयर में से 1/3 भाग भूमि क्षेत्रफल 0.507 हेक्टेयर स्थित ग्राम उत्तरधौना परमना, तहसील व जिला लखनऊ को विक्रेता ने दो किता विक्रय पत्र एक रजिस्ट्रीयुदा दिनांक 05.12.2000 पुस्तक संख्या 1 खण्ड 3167 पृष्ठ 309/328 नं० 681 कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय लखनऊ नविस्ते राम किशुन व दूसरा रजिस्ट्रीयुदा दिनांक 16.03.2001 पुस्तक

महादेव



प्रदेश UTTAR PRADESH



(7)


संख्या 1 खण्ड 3262 पृष्ठ 101/122 नं० 1660 कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय लखनऊ नविल्ली राम कुमार से क्रय किया है और उक्त भूमि का नाम परिवर्तन श्री राजेश्वर अभिलेखों में विक्रेता के नाम बहसियत भूमिसर हो गया है तथा उक्त भूमि विक्रेता के पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार में मौजूद है तथा हर प्रकार के विवादों विक्रय बन्धक दान आदि से बरी व पाक साफ है उक्त भूमि किसी भी सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत

महादेव





तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(8)

नहीं की गयी है उक्त भूमि की बाबत भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में विक्रेता के विरुद्ध कोई वाद विचारधीन नहीं है, अब बलरूपत खुद विक्रेता ने उसी कृषि भूमि खाता संख्या 00038 खसरा नं० 174 क्षेत्रफल 1.5220 हेक्टेयर में से 1/3 भाग भूमि क्षेत्रफल 0.507 हेक्टेयर स्थित ग्राम उत्तरधीना परमना, तहसील व जिला लखनऊ में से 1/2 भाग भूमि

महादेव



र प्रदेश UTTAR PRADESH

* TRY-LKO *

कोषागार लखनऊ में जारी

31 OCT 2008

स. को. स/कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

* O S B *
O P O

* TRY-LKO *


(9)

अर्थात् कुल भूमि के 1/6 भाग क्षेत्रफल 0.253 हेक्टेयर को मय स्वत्वों एवं अधिकारों सहित अपनी दृष्टि एवं प्रसन्नता से बिल एचन मु० 2,50,000/- रुपया (दो लाख पचास हजार रुपया) कि आषे जिसके मु० 1,25,000/- रुपया (एक लाख पच्चीस हजार रुपया) होते है बदात श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री हरि प्रसाद गुप्ता निवासी नं० 4/169 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ — क्रेता उपरोक्त के पय में पूर्ण रूप से विक्रय कर दिया और कुल विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से निम्नलिखित अनुसार वसूल

महादेव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




(10)

पाकर कब्जा व दखल मालिकाना भूमि बिक्रीशुदा पर आज की तारीख से
 क्रेता को बखुबी क्य दिया अब विक्रेता व विक्रेता के उत्तराधिकारियों का
 कोई दावा व हक बाकी नहीं रहा अगर कोई दावा करे तो वह नानायज होवे
 और अगर भूमि बिक्रीशुदा के स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई झगड़ा पाया
 जावे या भूमि बिक्री शुदा कहीं विक्रय बखसक दाब आदि पायी जावे तथा
 सम्पूर्ण भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के कब्जे से किसी समय में

महेश्वर

1015002



प्रदेश UTTAR PRADESH

* TRY 6-843276
 कोषागार लखनऊ
 -27 OCT 2000
 स. जे. व/कोषागार
 कोषागार लखनऊ
 T. R. S. K. S.

(11)


निकल जावे तो ऐसी सूरत में क्रेता को अधिकार होना कि अपना कुल विक्रय मूल्य मग हर्जा खर्चा बुकसाब विक्रेता व विक्रेता के उत्तराधिकारियों से व विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत मग खर्चा वसूल कर लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

महोदय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 789840



(12)


ग्राम उत्तरखौना बगर निगम सीमा के बाहर मुख्य फैजाबाद रोड
 लखनऊ स्थित कृषि, भूमि की बाजार कीमत 85,00,000/- रुपया प्रति
 हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार भूमि विक्रीशुदा क्षेत्रफल 0.253
 हेक्टेयर की मालियत मु0 21,50,500/- रुपया होती है जिस पर नियमानुसार
 7 प्रतिशत की दर से 1,50,600/- रुपया का जनरल स्टाम्प क्रेता द्वारा अदा
 किया जा रहा है।

महोदय



र प्रदेश UTTAR PRADESH


G 789838



(13)

भूमि विक्रीयुक्त में कोई निर्माण, पेड़, कुआं ट्यूबवेल आदि नहीं है जो राष्ट्रीय मार्ग, फैजाबाद मार्ग पर स्थित है।


महादेव





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 789839



(14)

विक्रेता को अधिकार है कि यह भूमि विक्रीशुदा का दाग परिवर्तन जरूरी अभिलेखों में अपने पक्ष में कर लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है विक्रेता ने उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से निम्न जाति के पक्ष में विक्रय की अनुमति कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ प्रभायी अधिकारी (भू० व्य०) कृते जिलाधिकारी के पत्र संख्या 583/ डी० एल० आर० सी०/०५ दिनांक 13.09.2005 प्राप्त कर ली है।

महादेव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D-955489 नक
सं. १५५४८९ नक
१५/०५/२००८
न. नं. अ./कोषधिकारी
अ. नं. कोषागार लखनऊ

(15)

लिहाजा यह विक्रय पत्र लिख दिया ताकि सबद रहे और समय पर
काम आवे।

महादेव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08 AUG 2008
 Y 435921
 प. प्र. व. / उत्तर प्रदेश
 बैंक ऑफ इंडिया

(16)

विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य मू0 2,50,000/- रुपया

1. 2,50,000/- रुपया विक्रेता ने क्रेता इस विक्रय पत्र के निष्पादन से पूर्व भगद प्राप्त किये।

लखनऊ दिनांक 10.11.2008

गवाह

1. जयपृकाश जी रुपचन्द
 पता / चिन्ह लखनऊ

2. सल ७४६८ ५००१
 पता सि १५८ ९१८१५

महादेव
 हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

टाह्य कर्ता
 (अरुण कुमार वर्मा)


मसविदाकर्ता

 Anjay Kumar Srivastava
 DEED WRITER




रि. स्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- ब्रह्मदेव पुत्र श्री सन्तु
वि० ग्राम इन्द्रधामा परब तहसील जिला लखनऊ
 दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




बाएँ हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




महोदय
 प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- आशीष गुप्ता
पिन ५०१६९ विशालखण्ड गौमती नगर लखनऊ
 दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



बाएँ हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



18
 से
 क

पत्र


उत्तर धौजा

लखनऊ

लखनऊ

1362 का १६४-६४ ई

आ



13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

महोदय

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

संख्या

उत्तर धौला

खण्ड

खण्ड

1362 का. 1-1-68-62 ई.

आ

1/3
2/3
3/3
अर्ध



महोदय


Handwritten signature or stamp

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,


फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- ब्रह्मदेव पुत्र श्री सन्तू

वि० ग्राम उ० तट धौना पर० तह० जिला लखनऊ
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



ब्रह्मदेव
प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- डा. श्री व. सुन्दर

दि० ५/१६/९१ विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



अधिकारी [Signature]
पदम किया.....
सकल किया.....

संख्या
दिनांक
पृष्ठ सं.
पृष्ठ क्र.
पृष्ठ सं.

12072
7/11/08
आदेश सं. 123/08
सेवा
ल

राज्य विधान
संख्या 125
आदेश सं. 31-03-13
विशेष अधिनियम, 1952

पांच

UTT

आत दिनांक 10/11/2008 को
वर्ग सं 1 जिल्द सं 8013
पृष्ठ सं 77 से 112 पर क्रमांक 12366
रद्द कर दिया गया।

अखिलेश दूबे
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ.
10.11/2008

आदेश सं. 123/08
उप निबन्धक (द्वितीय)

7/10/2015